देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

—: अधिसूचना :—

अधिसूचना संख्या ....134.... / भू अ० दिनांक : 13/2/19

चूँकि झारखण्ड सरकार / समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि **ग्राम—मंझलाडीह, थाना—देवघर, थाना सं०—93, अंचलः—देवीपुर, जिला—देवघर** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना **चांदडीह—तिलौना पथ भाया सिमरा, खसपेका, पिछड़ीबाद, मथुरापुर, हुसैनाबाद, कथारी पथ का पुनर्निर्माण** हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि **ग्राम—मंझलाडीह, थाना—देवघर, थाना सं०—93, अंचल—देवीपुर, जिला—देवघर** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **1.90 एकड़** मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :—

क. स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	119	रैयती	बाड़ी—2	0.16	सुरेश दास वो रामदेव दास पे० स्व० पोखन दास वो संतोष दास पे० स्व० राजकुमार दास वो पलटू दास वो विष्णु दास वो ब्रहमु दास पे० स्व० चेतन दास वो त्रिवेणी देवी पति स्व० बालदेव दास वो लक्ष्मण दास वो गजेन्द्र दास वो सुरेश दास पे० स्व० हरि दास वो लाल दास वो गौतम दास वो कन्हैया दास पे० स्व० टेटू दास वो छोटन दास माता स्व० कमली देवी वो कांग्रेस दास वो संजय दास वो राजेश दास पे० स्व० दशरथ दास वो सरजू दास वो बालेश्वर दास पे० स्व० तीतु दास वो कारू दास वो सतीश दास पे० स्व० गुहन दास वो गोविन्द दास वो भरत दास माता स्व० टेपरी देवी वो काली दास वो नित्यानन्द दास पे० स्व० महादेव दास वो कामेश्वर दास पे० स्व० बुन्दो महरा वो उमा देवी पति स्व० रामधनी दास वो नरेश दास वो परेश दास पे० स्व० राजेन्द्र दास वो उर्मिला देवी पति स्व० मुखलाल दास वो सुरेन्द्र दास पे० स्व० लगन दास वो पद्मा देवी पति स्व० टाकु महरा वो गोनवा देवी पति स्व० भुखन महरा वो जयराम दास पे० स्व० लक्षी दास वो बालदेव दास वो जगदेव दास पे० स्व० किसुन दास वो गोखुल दास (पौष्यपुत्र) वो फागु महरा अंश समान सा० देह।	अर्जित रकवा का अंश	रास्ता एवं दाग संख्या 116	हुसैनाबाद, 100	मौजा संख्या 92
2	2	114	रैयती	बाड़ी—2	0.80	निशपेटर अंसारी वो काजल अंसारी वो				

08-02-2019

						दिलदार अंसारी पे० स्व० अलीमुद्दीन मियां वो आयूब मियां पे० स्व० नसरूद्दीन मियां वो अलाउद्दीन मियां वो खुदुस मियां पे० स्व० हातीम मियां वो सोहराव मियां पे० स्व० सोहन मियां वो मुस्तफा अंसारी वो सफाउल अंसारी वो नजरूल अंसारी वो अनाउल अंसारी पे० स्व० रफील मियां वो तोहिद अंसारी वो मुस्तजा अंसारी वो ताहिर अंसारी वो मनीर अंसारी पे० स्व० चरकू मियां वो बाबूजन मियां पे० स्व० जुमन मिया अंश समान सा० फुलकरी।				
3	2	125	रैयती	बाड़ी–2	0.13	तथैव।				
4	2	116	रैयती	बाड़ी–2	0.57	तथैव।				
5	3	118	रैयती	बाड़ी–2	0.08	दुखल मंडल पे० स्व० टेटू मंडल वो प्रमिला देवी पति स्व० भुखन वो सहदेव मंडल वो अर्जून मंडल पे० स्व० कटी मंडल वो टुपलाल मंडल वो गुजर मंडल पे० स्व० आम मंडल सा० राउतडीह अंश समान।				
6	6	117	रैयती	बाड़ी–2	0.03	कामेश्वर दास पे० स्व० बुन्दो दास वो विक्रम दास वो कृष्णमोहन दास वो विजय दास पे० स्व० रामधनी दास वो नरेश दास वो परेश दास पे० स्व० राजेन्द्र दास वो उर्मिला देवी पति स्व० मुखलाल दास अंश समाना सा० देह।				
7	6	127	रैयती	बाड़ी–2	0.03	तथैव।				
8	7	124	रैयती	बाड़ी–2	0.10	महेन्द्र यादव वो सिकन्दर यादव पे० स्व० इनो महतो वो अनिता देवी पति स्व० भूमि यादव वो भैरो यादव वो महादेव यादव पे० स्व० हुरो महतो अंश समान सा० कटघरी।				
				कुल रकवा–	**1.90**					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई

08-02-2019

अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियॉ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी
देवघर

अपर समाहर्त्ता
देवघर

समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 134 / भू अ०, देवघर, दिनांक 13/2/19

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, देवीपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित किया जाय।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी
देवघर

अपर समाहर्त्ता
देवघर

समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।